

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक 2701/रा0,

सेवा में,

महालेखाकार, झारखण्ड,  
पोस्ट-हिनु, राँची।

बोकारो, दिनांक 01/12/18

विषय:-

मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 04.10.2016 के मद संख्या 02 में लिये गये निर्णय के आलोक में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनान्तर्गत जलमीनार निर्माण हेतु बोकारो जिला के अंचल चन्दनकियारी, ग्राम अलुवारा, थाना नं0-206, खाता नं0-74, प्लॉट नं0-210, रकवा-0.15 एकड़ गैरमजरूआ खास, पुरातन पतित, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृति।

1. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रायोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उस प्रायोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रायोजन हेतु उसका उपयोग छः माह के अन्दर नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
2. अन्य सभी शर्त " इस्टेट मैनुअल" में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।



अपर सहायक,  
बोकारो।



उपायुक्त,  
बोकारो।